



राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक :- एफ 1(7)(01096)डीपीसी / सान्याअवि / 2025

जयपुर, दिनांक :- यथा ई-हस्ताक्षरित

:- आदेश :-

विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 16.08.2024 तथा दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बैठक में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर क्रमशः वर्ष 2023-24 व 2024-25 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति से डेफर कार्मिक के अभिलेख पूर्ति किये जाने पर दिनांक 08.01.2025 को पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति पर विचार किया गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में कार्मिक के अभिलेखों का अवलोकन करने पर समिति द्वारा डेफर निम्नांकित सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के अभिलेख पूर्ण होने पर पदोन्नति हेतु अनुशंषा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष/दिनांक से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP)

क्र.सं.	नाम कार्मिक	श्रेणी	चयन वर्ष व दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्रीमती सुषमा देवी	UR	2023-24 / 01.04.2023	-
2.	श्री लाल बहादुर चतुर्वेदी	UR	2024-25 / 01.10.2024	-

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा पदोन्नति पद पर पदस्थापन के आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे एवं पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(केसरलाल मीणा)

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)

क्रमांक :- एफ 1(7)(01096)डीपीसी / सान्याअवि / 2025

जयपुर, दिनांक :- यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता विभाग/विशेष योग्यजन, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,।
5. संस्थापन अधिकारी (संस्थापन/सामान्य)/पेंशन/लेखाकार भुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।
6. संस्थापन प्रशाखा (पी.-3), मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) को वेबसाईट पर संधारित किये जाने हेतु।
7. संबंधित कार्मिक श्रीमती/श्री.....।
8. व्यक्तिगत पत्रावली श्रीमती/श्री।
9. आदेश पत्रावली।

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)

